क्रम संख्या–116 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 12 दिसम्बर, 2024 ई0

अग्रहायण 21, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सहकारिता अनुभाग–1

संख्या 773/XIV-1/2024–07(04)/2016

देहरादून, 12 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2003) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 12 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियमं	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) कृषि ऋण सहकारी समितियों के मामले में, वही सदस्य मतदाता सूची में सम्मिलित किये जायेंगे, जिनके द्वारा निर्वाचन तिथि से 45 दिन पूर्व विगत 3 सहकारी वर्षों के दौरान कम से कम किसी वर्ष में समिति से लेन–देम किया गया हो।	(ख) कृषि ऋण सहकारी समितियों के मामले में, वही सदस्य मतदाता सूची में सम्मिलित किये जायेंगे, जिनके द्वारा निर्वाचन तिथि से 45 दिन पूर्व विगत 3 सहकारी वर्षों के दौरान कम से कम किसी वर्ष में समिति से लेन–देन किया गया हो।
	'परन्तु इस संशोधन नियमावली के प्रारम्भ से तीन वर्ष पूर्व बनाये गये समस्त नये सदस्यों के सम्बन्ध में उक्त नियम के खण्ड (ख) के उपबन्ध उन्हें सदस्य बनाये जाने की तिथि से प्रथम निर्वाचन के लिये लागू नहीं होंगे व तत्पश्चात प्रत्येक निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।''
परन्तु यह कि जिन समितियों के सामान्य निकाय का गठन व्यक्तिगत सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा अथवा केवल समिति के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, उनकी मतदाता सूची सहकारी नियमावली के नियम 85 के अधीन तैयार की जायेगी और इस प्रकार तैयार की गई मतदाता सूची, अनन्तिम मतदाता सूची कहलायेगी जिस पर सचिव या प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षर और मोहर होंगेः–	परन्तु यह और कि जिन समितियों के सामान्य निकाय का गठन व्यक्तिगत सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा अथवा केवल समिति के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, उनकी मतदाता सूची सहकारी नियमावली के नियम 85 के अधीन तैयार की जायेगी और इस प्रकार तैयार की गई मतदाता सूची, अनन्तिम मतदाता सूची कहलायेगी जिस पर सचिव या प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षर और मोहर होंगेः–
परन्तु यह और कि समिति जो परिसमापनाधीन हो अथवा प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन न होने के कारण निलम्बित/अवक्रमित की गई हो, के प्रतिनिधि उक्त मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।	परन्तु यह और कि समिति जो परिसमापनाधीन हो अथवा प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन न होने के कारण निलम्बित/अवक्रमित की गई हो, के प्रतिनिधि उक्त मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 773/XIV-1/2024-7(4)/2016,** dated December 12, 2024 for general information.

No.773/XIV-1/2024-7(4)/2016

Dated Dehradun, December 12, 2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003 (Uttarakhand Act. N0. 5 of 2003), the Governor is pleased to make the following rules further to amend in the Uttarakhand State Co-operative Societies Election Rules, 2018; namely: -

THE UTTARAKHAND STATE CO-OPERATIVE ELECTION (AMENDMENT) RULES, 2024

Short title and commencement 1- (1) **These rules may be called the Uttarakhand State Co-operative Election (Amendment) Rules, 2024.**

(2) **It shall come into force at once.**

Amendment of rule 12 2- **In the Uttarakhand State Co-operative Election Rules, 2018 (hereinafter referred to as principal rules) for existing rule 12 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely: -**

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule as hereby Substituted
(b) In case of Agricultural Credit Society, only those members shall be included in the Voters list by whom transactions have been done with the society 45 days before the date of Election at least in any year during the previous three Co-operative years:	(b) In case of Agricultural Credit Society, only those members shall be included in the Voters list by whom transactions have been done with the society 45 days before the date of Election at least in any year during the previous three Co-operative years:

Provided that in case of the societies, where general body is constituted by individual members and the delegates of the societies, or only by the delegates of the societies, the voters list shall be prepared under rule 85 under Co-operative rules and the voters list so prepared shall be called the provisional voter list which shall bear the signature and seal of the Secretary or the Managing Director:

Provided further that the delegates of such societies which are under winding up or which have been suspended or superseded due to non-election of the Committee of Management, shall not be included in the Voters list.

Provided that in case of all new members enrolled three years prior to the commencement of this amendment rules, the provisions of clause (b) shall not be applicable, from the date of their enrollment as member for the consideration of first election only and thereafter shall be applicable for every election.

Provided further that in case of the societies, where general body is constituted by individual members and the delegates of the societies, or only by the delegates of the societies, the voters list shall be prepared under rule 85 under Co-operative rules and the voters list so prepared shall be called the provisional voter list which shall bear the signature and seal of the Secretary or the Managing Director:

Provided further that the delegates of such societies which are under winding up or which have been suspended or superseded due to non-election of the Committee of Management, shall not be included in the Voters list.

By Order,

DILIP JAWALKAR,

Secretary.